छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

शिकायत प्रकरण क्रमांक 10/2006

कु. कौशल्या मन्नेवार भैरव नगर, बोरिया रोड, मठपुरैना, रायपुर (छ.ग.)	....	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर (छ.ग.)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(05 सितम्बर 2006)

आवेदक कु. कौशिल्या मन्नेवार के द्वारा आयोग को शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा दिनांक 30.11.05 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत आदिम जाति उच्चस्तरीय छानबीन समिति से कुछ जानकारी एवं अभिलेखों की प्रति मांगी गई थी। उनके द्वारा आवेदन पत्र में समिति के सदस्य श्री टी.के. वैष्णव पर कुछ आरोप भी लगाये। उन्होंने यह जानकारी भी चाही थी कि मोवार जाति को यदि समिति के द्वारा आदिवासी नही माना जाता है तो मन्नेवार जाति की छत्तीसगढ़ में मोवार के अलावा और कौन सी उपजाति है। उसके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मैत्री, मन्नेवार, मोवार इन जातियों को अलग–अलग माने जाने की सत्यप्रति उपलब्ध कराई जावे। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि 31 मार्च 1949 में मध्य प्रान्त की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर पहली अनुसूची में मोवार जाति को अनुसूचित जनजाति माना गया था, उसे कब विलुप्त किया गया, इसकी जानकारी दी जावे। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि पूर्व में आवेदिका को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र के आधार पर एक साल तक डेंटल कालेज की स्टूडेंट रही। उस समय क्यों आपत्ति नहीं की गई। निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त न होने के कारण आवेदिका के द्वारा आयोग को शिकायत की गई। अनावेदक सदस्य संयुक्त संचालक, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने जवाब में बतलाया कि आवेदिका मोवार जाति की है जो कि अन्य पिछड़े वर्ग में आता है किन्तु यह जनजाति के अंतर्गत नहीं आता। जवाब में यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदिका कु. कौशिल्या मन्नेवार के द्वारा स्वयं को अनुसूचित जनजाति का बताकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर डेंटल कालेज, रायपुर में प्रवेश लिया था। उसका फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण समिति के समक्ष जांच की

प्रक्रिया के अधीन है। अतः अधिनियम की धारा 8 (एच) के अंतर्गत आवेदिका को वांछित अभिलेख प्रदान नहीं किये जा सकते।

उन्होंने यह भी बतलाया कि इस संबंध में आवेदिका को पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

आयोग के द्वारा आवेदिका एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। आवेदिका ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31 मार्च 2006 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें कि यह उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का जाति प्रमाण पत्र जो कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया गया था उसे निरस्त न किया जावे किन्तु जांच समिति इस प्रकरण में नोटिस देकर जांच नियमानुसार कर सकती है। आवेदिका के पृथक से आवेदन पत्र पर तहसीलदार के द्वारा आवेदिका को यह भी सूचित किया गया कि मोवार जाति की तहसील करतला में कुल जनसंख्या 1888 है। अनुविभागीय अधिकारी करतला के द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया कि मन्नेवार को गोड़ जाति में रखा गया है किन्तु मोवार जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने संबंधी कोई जानकारी कार्यालय में नहीं है। मन्नेवार जाति को आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र की जनजाति बतलाया गया है। छ.ग. शासन द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग की सूची में मोवार जाति पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की गई है। उच्चस्तरीय छानबीन समिति के संयुक्त संचालक के द्वारा तर्को में बतलाया गया कि आवेदिका की जाति अन्य पिछड़े वर्ग में है। आवेदिका मोवार जाति को अनुसूचित जनजाति बतलाकर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र चाहती है जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका ने मिसल अभिलेख की प्रतियां मांगी है। यह अभिलेख अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या छानबीन समिति के पास नहीं रहता है। मिसल बंदोबस्त कलेक्टर के रिकार्ड रूम में रखा जाता है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा छानबीन समिति को जांच करने से नहीं रोका गया है तथा आवेदिका का प्रकरण अभी जांच में है। आवेदिका के द्वारा स्पष्ट रूप से मिसल बंदोबस्त के अलावा क्या अभिलेख चाहिए इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में केवल यही तर्क प्रस्तुत किए गये हैं कि उनकी जाति मन्नेवार अनुसूचित जाति की उपजाति है। आवेदिका की जाति अनुसूचित जनजाति में आती है अथवा नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार आयोग को नहीं है। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में असंसदीय एवं अभद्र भाषा का भी उपयोग संयुक्त संचालक, छानबीन समिति के संबंध में किया है जो कि उचित नहीं प्रतीत होता। आवेदिका वास्तव में कौन से अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि चाहती है, वह स्पष्ट रूप से सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र में उल्लेख करे तब उसे जानकारी प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका की शिकायत अस्वीकार की जाती है तथा यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदिका किसी शासकीय अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि चाहती है तो उस अभिलेख का स्पष्ट विवरण देकर यदि आवेदन पत्र देती है तो उसे संबंधित अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त